राजस्थान सरकार
तकनीकी शिक्षा विभाग

क्रमांक : प. 11(9)त.शि./2004 जयपुर, दिनांक : 7 फरवरी, 2008

निदेशक (शिक्षा),
प्राविधिक शिक्षा निदेशालय,
जोधपुर।

विषय :– शैक्षणिक भ्रमण हेतु राज्य से बाहर जाने की अनुमति के संबंध में।
संदर्भ :– आपका पत्रांक : 3(1)प्राशिनि/ई–2/295 दिनांक 15.1.2008

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा प्रेषित शैक्षणिक भ्रमण के मानदण्डों का निर्देशानुसार अनुमोदन किया जाता है। शैक्षणिक भ्रमण की अनुमति हेतु निर्धारित स्वीकृत वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर ही दी जावे। इस हेतु अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान उपलब्ध नहीं करवाया जावेगा।

भवदीय,

(आर.के.गुप्ता)
विशेषाधिकारी,त.शि.

Room No.1243 Secretarite, Jaipur Tele-0141-2227498 E-mail: osd_te@yahoo.co.in

राजस्थान–सरकार

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर।

कमांक:एफ 3(1)प्राशिनि/ई–2/295 दिनांक: 15/1/08

विशेषाधिकारी,
तकनीकी शिक्षा विभाग,
शासन सचिवालय,
राजस्थान, जयपुर।

विषय: **शैक्षणिक भ्रमण हेतु राज्य से बाहर जाने की अनुमति के संबंध में।**
सन्दर्भ: आपका पत्रांक प.11(9)त0 शि0/2004 दिनांक 14.12.07

महोदय,

विषयान्तर्गत आपके सन्दर्भित पत्र के कम में निवेदन हैं कि शैक्षणिक भ्रमण हेतु राज्य की सभी पॉलिटेक्निक महाविधालयों के विद्यार्थियों को राज्य से बाहर जाने की अनुमति दिये जाने का निर्णय लिया गया था । जिसके कम में प्रस्तावित मापदण्ड परिशिष्ठ–"अ" पर संलग्न कर लेख हैं कि इनके आधार पर राज्य के भीतर तथा राज्य के बाहर शैक्षणिक भ्रमण की अनुमति प्रदान करावें।

शैक्षणिक भ्रमण से पॉलिटेक्निक छात्र/छात्राओं के ज्ञान कौशल में न केवल अभिवृद्वि होती हैं वरन् उनका व्यक्तित्व विकास भी होता हैं तथा आत्मविश्वास बढ़ता हैं । अनेक विशिष्ठ उधोग राजस्थान से बाहर होने से शैक्षणिक भ्रमण हेतु राजस्थान से बाहर जाकर इसका लाभ छात्र/छात्राओं को दिलाया जाना चाहिये; अतः प्रस्तावित मापदण्डानुसार शैक्षणिक भ्रमण हेतु राज्य की सभी पॉलिटेक्निक महाविधालयों के विद्यार्थियों को राज्य से बाहर जाने की अनुमति प्रदान करावें ।

भवदीय

14.1.08

निदेशक, प्राविधिक शिक्षा

F. 3.(1) प्रशासन/ई-2/295 दिनांक 15.01.2008

परिशिष्ट–"अ"

क.सं.	शैक्षणिक भ्रमण के वर्तमान मापदण्ड	शैक्षणिक भ्रमण के प्रस्तावित मापदण्ड	
		राज्य के भीतर शैक्षणिक भ्रमण के मापदण्ड	राज्य के बाहर शैक्षणिक भ्रमण के मापदण्ड
1	30 विद्यार्थियों तक के ग्रुप के साथ अधिकतम 2 राजपत्रित अधिकारी, 01 च.श्रै.क. ही भेजा जायेगा।	15 विद्यार्थियों तक के ग्रुप के साथ अधिकतम 01 राजपत्रित अधिकारी, 01 अराजपत्रित कर्मचारी तथा 01 च.श्रै.क. विद्यार्थियों के साथ यात्रा करेंगे । 15 से अधिक विद्यार्थियों तक के ग्रुप के साथ अधिकतम 2 राजपत्रित अधिकारी, 01 अराजपत्रित कर्मचारी तथा 01 च.श्रै.क. विद्यार्थियों के साथ यात्रा करेंगे ।	15 विद्यार्थियों तक के ग्रुप के साथ अधिकतम 01 राजपत्रित अधिकारी, 01 अराजपत्रित कर्मचारी तथा 01 च.श्रै.क. विद्यार्थियों के साथ यात्रा करेंगे । 15 से अधिक विद्यार्थियों तक के ग्रुप के साथ अधिकतम 2 राजपत्रित अधिकारी, 01 अराजपत्रित कर्मचारी तथा 01 च.श्रै.क. विद्यार्थियों के साथ यात्रा करेंगे ।
2	भ्रमण की अधिकतम अवधि 08 दिवस की होगी जिसमें आने व जाने का समय भी सम्मिलित होगा	भ्रमण की अधिकतम अवधि 08 दिवस की होगी जिसमें आने व जाने का समय भी सम्मिलित होगा	भ्रमण की अधिकतम अवधि 14 दिवस की होगी जिसमें आने व जाने का समय भी सम्मिलित होगा
3	भ्रमण की अधिकतम दूरी 2000 कि.मी. होगी। जिसमें दर्शनीय स्थानों की दूरी भी सम्मिलित होगी ।	भ्रमण की अधिकतम दूरी 2000 कि.मी. होगी । जिसमें दर्शनीय स्थानों की दूरी भी सम्मिलित होगी ।	भ्रमण की अधिकतम दूरी 5000 कि.मी. होगी । जिसमें दर्शनीय स्थानों की दूरी भी सम्मिलित होगी ।
4	भ्रमण हेतु छात्रों को कन्सेक्शन दर पर रेल/बस किराया एवं स्थानीय भ्रमण हेतु वाहन का किराया ही देय होगा जोकि अधिकतम 200/– रू0 होगा	भ्रमण हेतु छात्रों को कन्सेक्शन दर पर रेल/बस किराया एवं स्थानीय भ्रमण हेतु वाहन का किराया ही देय होगा जोकि अधिकतम 500/– रू0 होगा	भ्रमण हेतु छात्रों को कन्सेक्शन दर पर रेल/बस किराया एवं स्थानीय भ्रमण हेतु वाहन का किराया ही देय होगा जोकि अधिकतम 750/– रू0 होगा
5	इस भ्रमण में मंत्रालयिक कर्मचारी कोई नहीं होगा।	यदि एक पोलिटेक्निक की किसी ब्रांच में भ्रमण में जाने वाले छात्रों की संख्या 15 से कम होगी तो 02 या अधिक शाखा के छात्रों को एक साथ भ्रमण पर भेजा जायेगा ।	यदि एक पोलिटेक्निक की किसी ब्रांच में भ्रमण में जाने वाले छात्रों की संख्या 15 से कम होगी तो 02 या अधिक शाखा के छात्रों को एक साथ भ्रमण पर भेजा जायेगा ।
6	भ्रमण हेतु सिर्फ राजस्थान में ही जाने का प्रावधान हैं।	भ्रमण की अवधि में अगर छात्र अनुशासन हीनता करते हैं तो संबंधित अधिकारी अपने विवेक का उपयोग करते हुए कार्यवाही करेगा । यदि आवश्यक समझा जाये तो भ्रमण को बीच में स्थगित किया जा सकेगा ।	भ्रमण की अवधि में अगर छात्र अनुशासन हीनता करते हैं तो संबंधित अधिकारी अपने विवेक का उपयोग करते हुए कार्यवाही करेगा । यदि आवश्यक समझा जाये तो भ्रमण को बीच में स्थगित किया जा सकेगा ।